संख्या-186/2022/1203/001-23-10-22-55(सामान्य)/2022

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में महेवा गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के समायोजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2643/संशोधन/आवंटन(बजट)/सेतु-31/2022 दिनांक 02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि राज्य योजना(सेतु) योजनान्तर्गत चालू कार्यों की मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आजमगढ़ क्षेत्र से प्राप्त मॉग के सापेक्ष विभिन्न जनपदों के 02 कार्यों हेतु क्षेत्र से प्राप्त रू0 894.16 लाख के सापेक्ष रू0 894.16 लाख के धनावंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके क्रम में शासनादेश सं0-110/2022/762/001-23-10-22-55सा0-2022 दि0 15.09.2022 द्वारा रू0 894.16 लाख का आदेश निर्गत किया गया है।

जनपद आजमगढ़ में महेवा गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17 में रू0 22875.72 लाख की प्रदान की गयी है, जिसमें सेतु अंश की लागत रू0 11341.99 लाख एवं पहुंच मार्ग की लागत रू0 11533.73 लाख है। पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य दो जनपदो (प्रान्तीय खण्ड आजमगढ़ एवं प्रान्तीय खण्ड गोरखपुर) द्वारा कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चालू कार्य में ऑन लाइन व्यवस्था होने के कारण विश्वकर्मा पोर्टल पर एक साथ एक परियोजना पर दो जनपदों को आवंटन निर्गत किये जाने की व्यवस्था नही है। जिस कारण उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दि0 15.09.2022 द्वारा सम्पूर्ण धनराशि रू0 817.59 लाख का आवंटन प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़ को निर्गत किया गया है।

3- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में महेवा गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार आवंटित धनराशि के समायोजन किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती हैः- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि		योग
				अनु0-57	अनु0-83	
1	2	3	4	5	6	7
पूर्व में निर्गत धनराशि						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	**आजमगढ़**	जनपद आजमगढ़ में महेवा गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	**प्रान्तीय खण्ड, आजमगढ़**	644.18	173.41	817.59
समायोजन हेतु धनराशि						
2	**आजमगढ़**	जनपद आजमगढ़ में महेवा गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	प्रान्तीय खण्ड, आजमगढ़	**(-) 486.60**	**(-) 130.99**	**(-) 617.59**
			प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	**(+)486.60**	**(+)130.99**	**(+) 617.59**
				(-) 0.00	**(-) 0.00**	**(-) 0.00**
		;kx &		**(+) 0.00**	**(+) 0.00**	**(+) 0.00**

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) **उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।**

3- **यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-186/2022/1203/001-23-10-22-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।**
(7) **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।**
(8) **राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।**
(9) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in